भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5202

24 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय-किसान कल्याण की दिशा में प्रगति और उसके लिए पहल

5202. डॉ. आलोक कुमार सुमनः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में संशोधन किया गया है;

(ग) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा कवरेज का ब्यौरा क्या है;

(घ) जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान किसान कल्याण योजनाओं के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) के वर्ष 2013-14 के बजट आवंटन को 21,933.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2025-26 के बजट आवंटन को 1,27,290.16 करोड़ रुपये कर दिया है। विगत तीन वर्षों अर्थात 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान वास्तविक व्यय क्रमशः 1,01,572.54 करोड़ रुपये, 1,10,283.64 करोड़ रुपये और 1,29,933.47 करोड़ रुपये था। किसानों के कल्याण के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम, जिनका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना, लाभकारी प्रतिफल प्रदान करना और किसानों को आय सहायता प्रदान करना है, अनुबंध I में दिए गए हैं।

(ख): सरकार प्रतिवर्ष कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की अनुशंसाओं के आधार पर, संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों को ध्यान में रखते हुए, पूरे देश के लिए 22 अनिवार्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान 22 अनिवार्य फसलों के एमएसपी में हुई वृद्धि का विवरण अनुबंध II में दिया गया है।

(ग): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) - पीएमएफबीवाई संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों और क्षेत्र के लिए बुआई के पूर्व से लेकर फसलोपरांत तक फसल क्षति के खिलाफ व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करती है।

दिनांक 31.12.2025 तक की स्थिति के अनुसार, 40.76 करोड़ किसान आवेदनों का पंजीकरण हो चुका है और पिछले तीन वर्षों अर्थात 2022-23 से 2024-25 के दौरान पीएमएफबीवाई के तहत कुल 9.82 करोड़ किसान आवेदकों को 54,883.28 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया जा चुका है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पीएमएफबीवाई हेतु 12,242.27 करोड़ रुपये (बीई) आवंटित किए गए हैं।

(घ): वर्ष 2015-16 से पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर राज्य के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोनों योजनाएं जैविक खेती से जुड़े किसानों को जैविक खाद सहित संपूर्ण सहायता प्रदान करती हैं। दोनों योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा किया जाता है। पीकेवीवाई के तहत, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों को खेत में/खेत से बाहर जैविक इनपुट के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। एमओवीसीडीएनईआर के तहत, किसान उत्पादक संगठन के गठन, जैविक इनपुट के लिए किसानों को सहायता आदि के लिए 3 वर्षों में 46,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, इस योजना के तहत किसानों को ऑफ फॉर्म /ऑन फार्म जैविक इनपुट के लिए 32,500 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रदान किए जाते हैं, जिसमें किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में 15,000 रुपये शामिल हैं।

राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (एनएमएनएफ) की शुरुआत सतत विकास, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन और सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक रूप से समर्थित कृषि पारिस्थितिक दृष्टिकोणों को बढ़ावा देने हेतु की गई। प्राकृतिक कृषि में पशुधन (विशेष रूप से स्थानीय नस्ल की गाय) का उपयोग, बीजामृत, जीवामृत, नीमस्त्र आदि जैसे कृषि उत्पादों का प्रयोग, बहुफसली प्रणाली, मानसून से पहले की शुष्क बुवाई, बायोमास आधारित मल्चिंग, खेत के बफर क्षेत्रों में वृक्षारोपण आदि शामिल हैं। प्राकृतिक कृषि पद्धतियाँ मृदा संरचना, पोषण और मृदा कार्बनिक कार्बन में सुधार करती हैं नमी धारण क्षमता और जल धारण क्षमता को बढ़ाती हैं, फसल विविधता को बढ़ावा देती हैं और प्राकृतिक आवासों को प्रोत्साहित करती हैं जो खेत में जैव विविधता को बढ़ाते हैं।

अब तक 9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 18,825 क्लस्टर बनाए गए हैं और 19 लाख किसानों का पंजीकरण किया गया है। इसके अलावा, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), कृषि विश्वविद्यालयों (एयू) और स्थानीय प्राकृतिक कृषि संस्थानों के माध्यम से 33,336 कृषि सखियों/सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) को प्रशिक्षित किया गया है और 6,388 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) स्थापित किए गए हैं। पंजीकृत 15.63 लाख किसानों से मृदा नमूने एकत्र किए गए हैं और 7.46 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं। इसके अलावा, प्राकृतिक कृषि मानकों के अनुसार प्राकृतिक कृषि उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए "पीजीएस-इंडिया नेचुरल" के रूप में प्राकृतिक कृषि प्रमाणन प्रणाली (एनएफसीएस) शुरू की गई है। 6.39 लाख से अधिक किसानों को एनएफ प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

(ङ): वित्त वर्ष 2025-26 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का कुल योजना बजट अनुमान 1,26,026.99 करोड़ रुपये है।

अनुलग्नक -I

डीए एंड एफडब्ल्यू द्वारा संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-के.एम.वाई.)
3. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)/रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.)
5. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एम.आई.एस.एस.)
6. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.)
7. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन और संवर्धन
8. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एन.बी.एच.एम.)
9. नमो ड्रोन दीदी
10. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड (एग्रीश्योर)
11. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एन.एम.एन.एफ.)
12. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (आरकेवीवाई-डीपीआर)
13. प्रति बूंद अधिक फसल (पी.डी.एम.सी.)
14. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एस.एम.ए.एम.)
15. परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.)
16. सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एस.एच. एंड एफ.)
17. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आर.ए.डी.)
18. कृषि वानिकी
19. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सी.डी.पी.)
20. कृषि विस्तार उप-मिशन (एस.एम.ए.ई.)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एन.एफ.एस.एन.एम.)
22. इंटीग्रेटेड स्कीम फ़ॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग (आई.एस.ए.एम.)
23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन
29. दलहन आत्मनिर्भरता मिशन
30. पीएम धन-धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई)

अनुलग्नक II

न्यूनतम समर्थन मूल्य

(विपणन सीजन के अनुसार) (₹/क्विंटल(

क्रं.सं..	वस्तुएँ	के.एम.एस. 2023-24	के.एम.एस. 2024-25	के.एम.एस. 2025-26
	खरीफ फसल			
1	धान (सामान्य)	2183	2300	2369
	धान (ग्रेड 'ए')	2203	2320	2389
2	ज्वार (संकर)	3180	3371	3699
	ज्वार (मालदांडी)	3225	3421	3749
3	बाजरा	2500	2625	2775
4	रागी	3846	4290	4886
5	मक्का	2090	2225	2400
6	अरहर	7000	7550	8000
7	मूंग	8558	8682	8768
8	उड़द	6950	7400	7800
9	कपास	6620	7121	7710
	(मध्यम स्टेपल)	7020	7521	8110
10	कपास	6377	6783	7263
11	(लंबा स्टेपल)	6760	7280	7721
12	मूंगफली	4600	4892	5328
13	सूरजमुखी के बीज	8635	9267	9846
14	सोयाबीन पीला	7734	8717	9537
	रबी फसल	**आर.एम.एस. 2024-25**	**आर.एम.एस. 2025-26**	**आर.एम.एस. 2026-27**
15	गेहूँ	2275	2425	2585
16	जौ	1850	1980	2150
17	चना	5440	5650	5875
18	मसूर	6425	6700	7000
19	रैप सीड और सरसों	5650	5950	6200
20	कुसुम	5800	5940	6540
	वाणिज्यिक फासले			
		2024-25	**2025-26**	**2026-27**
21	जूट	5335	5650	5925
		2024	**2025**	**2026**
	कोपरा (पिसाई)	11160	11582	12027
22	कोपरा (गोल)	12000	12100	12500

नोट.एस.एम.के :: खरीफ विपणन सीजन, आर.एस.एम.: रबी विपणन सीजन
